रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17052022-235792
CG-DL-E-17052022-235792

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2123]	नई दिल्ली, मंगलवार, मई 17, 2022/वैशाख 27, 1944
No. 2123]	NEW DELHI, TUESDAY, MAY 17, 2022/VAISAKHA 27, 1944

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई, 2022

का. आ. 2238(अ).—जबकि केंद्र सरकार ने दिल्ली मास्टर प्लान-2021 (एमपीडी 2021) में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव किया था, जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 24.10.2020 की सार्वजनिक सूचना सं का.आ. 3803(ई) के रूप में भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया था, ताकि उक्त सूचना की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) द्वारा आवश्यक आपत्तियों/सुझावों को आमंत्रित किया जा सके।

2. जबकि, प्रस्तावित संशोधन के संबंध में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है; और

3. जबकि, केंद्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यान से विचार करने के पश्चात, दिल्ली मास्टर प्लान-2021 को संशोधित करने का निर्णय लिया है।

4. अतः अब, केंद्र सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में निम्नलिखित संशोधन किए हैं।

संशोधन:

एमपीडी 2021	
मौजूदा प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन/आशोधन
अध्याय 12.0: परिवहन	
मेट्रो स्टेशनों और रेलवे स्टेशनों/टर्मिनलों के लिए विकास नियंत्रण: 3. निम्नलिखित संरचनाओं को प्रचालनात्मक संरचनाओं के रूप में माना जाएगा: i. सभी मेट्रो स्टेशन और ट्रैक जो ग्रेड, एलिवेटेड और अंडरग्राउंड पर सपोर्ट करते हैं, जिसमें प्रवेश संरचना, एंसिलरी बिल्डिंग टू हाउस डीजी सेट, चिलिंग प्लांट और इलेक्ट्रिक सबस्टेशन, सप्लाई एग्जॉस्ट और टनल वेंटिलेशन शाफ्ट आदि शामिल हैं। ii. डिपो और रखरखाव कार्यशालाएं iii. ट्रैक्शन सब-स्टेशन iv. संचालन नियंत्रण केंद्र v. पुलिस स्टेशन vi. संचालन और रखरखाव कर्मचारियों के लिए भर्ती और प्रशिक्षण केंद्र vii. केवल प्रचालन कर्मचारियों और मेट्रो सुरक्षा कर्मियों के लिए आवास viii. मेट्रो परियोजना के निर्माण के लिए किए जाने वाले पुनर्वास कार्य ix. सार्वजनिक सुविधाओं को पूरा करने के लिए मेट्रो स्टेशनों में दुकानें x. मेट्रो स्टेशनों के फुट प्रिंट पर प्लेटफॉर्म के ऊपर की संरचनाएं	मेट्रो स्टेशनों, आरआरटीएस स्टेशनों और रेलवे स्टेशनों/टर्मिनलों के लिए विकास नियंत्रण: 3. निम्नलिखित संरचनाओं को प्रचालनात्मक संरचनाओं के रूप में माना जाएगा: i. सभी स्टेशन और ट्रैक जो ग्रेड, एलिवेटेड और अंडरग्राउंड पर सपोर्ट करते हैं, जिसमें एंट्री स्ट्रक्चर, एंसिलरी बिल्डिंग टू हाउस डीजी सेट, चिलिंग प्लांट और इलेक्ट्रिक सबस्टेशन, सप्लाई एग्जॉस्ट और टनल वेंटिलेशन शाफ्ट आदि शामिल हैं। ii. डिपो और रखरखाव कार्यशालाएं iii. ट्रैक्शन सब-स्टेशन iv. संचालन नियंत्रण केंद्र v. पुलिस स्टेशन vi. संचालन और रखरखाव कर्मचारियों के लिए भर्ती और प्रशिक्षण केंद्र vii. केवल प्रचालन कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों के लिए आवास viii. परियोजना के निर्माण के लिए किए जाने वाले पुनर्वास कार्य ix. सार्वजनिक सुविधाओं को पूरा करने के लिए स्टेशनों में दुकानें x. स्टेशनों के फुट प्रिंट पर प्लेटफॉर्म के ऊपर की संरचनाएं

[फा. सं. के-12011/1/2021-डीडी-I]

वी के कुशवाहा, अवर सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th May, 2022

S.O. 2238(E).—Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in make in the Master Plan for Delhi-2021 which were published the in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice SO 3803(E) dated 24.10.2020 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections / suggestions as required by sub-section (3) of section 11-A of the said Act, within forty five from the date of the said notice.

2. Whereas, no objection/ suggestion has been received with regard to the proposed modification; and

3. Whereas, the Central Government has, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India:

Modification:

MPD 2021	
Existing Provisions	Proposed Amendments/Modifications
Chapter 12.0: Transportation	
Development Controls for Metro Stations and Railway Stations / Terminals: 3. The following structures shall be treated as operational structures: i. All Metro Stations and tracks supporting at grade, elevated and underground including entry structures, ancillary buildings to house DG sets, chilling plants and electric substation, supply exhaust and tunnel ventilation shafts etc. ii. Depots and maintenance workshops. iii. Traction sub-stations. iv. Operational Control Centers. v. Police Station. vi. Recruitment and Training Centers for operational and maintenance staff. vii. Housing for operational staff and Metro security personnel only. viii. Rehabilitation work to be undertaken for the construction of Metro Project. ix. Shops in Metro Stations to cater to the public amenities. x. Structures above platform over the foot print of the Metro Stations.	Development Controls for Metro Stations, RRTS Stations and Railway Stations / Terminals: 3. The following structures shall be treated as operational structures: i. All Stations and tracks supporting at grade, elevated and underground including entry structures, ancillary buildings to house DG sets, chilling plants and electric substation, supply exhaust and tunnel ventilation shafts etc. ii. Depots and maintenance workshops. iii. Traction sub-stations. iv. Operational Control Centers. v. Police Station. vi. Recruitment and Training Centers for operational and maintenance staff. vii. Housing for operational staff and security personnel only. viii. Rehabilitation work to be undertaken for the construction of Project. ix. Shops in Stations to cater to the public amenities. x. Structures above platform over the foot print of the Stations.

[F. No. K-12011/1/2021-DD-I]

V. K. KUSHWAHA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.05.17 16:23:39 +05'30'